



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072025-264320
CG-DL-E-02072025-264320

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2894]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 2, 2025/आषाढ 11, 1947

No. 2894]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 2, 2025/ASHADHA 11, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2025

का.आ. 2961(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा “कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड”, बेंगलुरु (पैन- AAALK0537G), जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के तहत कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड, के संबंध में उक्त बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात्:

- (i) कर्नाटक राज्य में स्थापित उद्योगों से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6), वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अनुसार कर्नाटक सरकार द्वारा अधिसूचित सहमति शुल्क का संग्रहण।
- (ii) कर्नाटक राज्य में स्थापित उद्योगों से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अनुसार कर्नाटक सरकार द्वारा अधिसूचित जल और वायु विश्लेषण शुल्क का संग्रहण।

- (iii) पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क।
- (iv) पर्यावरण संरक्षण, जल और वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण से संबंधित कोई भी शुल्क या आय, कर्नाटक सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी।
- (v) संबंधित सरकारी विभाग द्वारा अधिसूचित संबंधित गतिविधियों के कारण केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या किसी अन्य सरकारी एजेंसियों/विभागों से प्राप्त अनुदान/ सव्सीडी/वित्तीय सहायता/प्रतिपूर्ति, चाहे किसी भी नाम से जानी जाती हो।
- (vi) उपर्युक्त से उत्पन्न होने वाले ब्याज से प्राप्त आय।
- (vii) मुख्य गतिविधियों से संबंधित विविध आय जैसे स्क्रेप की बिक्री, विविध आय, निविदा आवेदन शुल्क, परिसमाप्त क्षति, आरटीआई शुल्क।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्याधीन प्रभावी होगी कि “कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड”, बेंगलूरु (पैन- AAALK0537G) –

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; तथा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण 2024-25 से 2025-2026 के लिए लागू मानी जायेगी और वित्तीय वर्ष 2023-2024 से 2024-2025 के लिए संगत होगी तथा कर निर्धारण वर्ष 2026-2027 से 2028-29 तक के लिए लागू होगी और वित्तीय वर्ष 2025-2026 से 2027-2028 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 71 /2025/फा. सं. 300196/29/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2025

S.O. 2961(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, “Karnataka State Pollution Control Board”, Bengaluru (PAN- AAALK0537G), a Board constituted by the State Government of Karnataka under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), in respect of the following specified income arising to the said Board, namely:

- (i) Collection of Consent fees as notified by the Government of Karnataka in accordance with the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 from Industries established in the State of Karnataka.
- (ii) Collection of water and air analysis charges as notified by the Government of Karnataka in accordance with the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 from Industries established in the State of Karnataka.

- (iii) Environmental Compensation fees.
- (iv) Any fees or income relevant to environment protection, water and air prevention and control of pollution shall be notified by the Government of Karnataka and the Central Pollution Control Board time to time.
- (v) Grants/Subsidy/financial assistance/reimbursements by whatever name called received from the Central Government, State Government, Central Pollution Control Board or from any other Govt. agencies/departments on account of relevant activities notified the concerned Govt. department.
- (vi) Interest income arising out of above.
- (vii) Miscellaneous income incidental to the core-activities i.e. sale of scrap, miscellaneous income, tender application fees, liquidated damages, RTI Fees.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that “Karnataka State Pollution Control Board”, Bengaluru (PAN AAALK0537G) –

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2024-2025 to 2025-2026 relevant for the financial years 2023-2024 to 2024-2025 and shall be applicable for assessment years 2026-2027 to 2028-2029 relevant for the financial years 2025-2026 to 2027-2028.

[Notification No. 71 /2025/F. No. 300196/29/2024-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

